पत्रांक –6/वि० 9–28/2011......90.....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर०के०महाजन

प्रधान सचिव।

सेवा मे,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक...6.2.15/

विषय– **राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में कोटपा के धारा 6 (A) एवं 6 (B) के प्रावधानों के अनुरूप तम्बाकू मुक्त घोषित करने के संबंध मे।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत पत्रांक 6/वि० 9–28/2011–839 दिनांक 16.07.2012, स्मार पत्रांक 6/वि० 9–28/2011–1537 दिनांक 21.12.2012 एवं स्मार पत्रांक 6/वि० 9–28/2011–768 दिनांक 26.09.2014 का स्मरण किया जाय। इस क्रम में पुनः स्मारित करना है कि राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कोटपा की धारा 6 (A) एवं 6 (B) के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय है, इसका उल्लंघन किये जाने पर 200/–(दो सौ रूपये) का दंड संबंधी चेतावनी का बोर्ड राज्य के अधिकांश प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लगाया जा चुका है, परंतु अभी भी कुछ विद्यालयों के आस–पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुपालन में राज्य के सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को पूर्णतया 31 मार्च, 2015 तक तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि अपने जिला के सभी विद्यालयों/इन्टर/डिग्री कॉलेजों में उपर्युक्त प्रावधानों एवं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में चेतावनी बोर्ड/दीवार पर पेन्ट कर चेतावनी लिखवाना सुनिश्चत करें एवं शत प्रतिशत तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु कार्रवाई की जाय तथा इसका प्रतिवेदन कैंसर अवेयरनेस सोसायटी, राजा बाजार, बेली रोड, पटना–14 को भेजा जाय। सुलभ प्रसंग हेतु चेतावनी के Text की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

5/2/15

(आर०के०महाजन)
प्रधान सचिव।

Amit

E:\Sec-06\Amit\Pradhan sachiv.doc

(38)

शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य कोई तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंघन किये जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

प्राचार्य / प्रबंधक

तम्बाकू मुक्त विद्यालय